न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 548/दो/2013 विरूद्व आदेश दिनांक 05.11.2012 – पारित – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर.–प्र.क. 672 बी 121/2011–12

1– श्रीमती गुमान देवी पत्नि स्व. अच्छेलाल
2– सुरेश पुत्र स्व. अच्छेलाल
3– राकेश पुत्र स्व. अच्छेलाल
4– मुकेश पुत्र स्व. अच्छेलाल
निवासी मुहल्ला टिकुरिया
तहसील पन्ना जिला पन्ना ———आवेदकगण।

विरूध्द

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर ——अनावेदक

आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव
अनावेदक के पैनल अभिभाषक श्री ए.के.श्रीवास्तव

आदेश

(आज दिनांक 2 – 4 – 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 672 बी 121 /2011–12 में पारित आदेश दिनांक 05–11–12 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी हलका नंबर 13 सुनहरा ने इस आशय प्रतिवेदन दिया कि ग्राम पुरूषोत्तमपुर स्थित भूमि सर्वे नंबर 21/2 के रकबे को स्वर्गीय अच्छेलाल पुत्र बुद्दुलाल निवासी पन्ना ने रकबा 1.611 हैक्टर में से 20 प्लाट काटकर अन्य को विकय कर दिया, अब उसके पास 20 प्लाट की भूमि कम हो जाने से 1.374 हैक्टर भूमि बची है। अच्छेलाल खातेदार ने कालोनाइजर का लायसेंस प्राप्त किये बिना प्लाट बनाकर भूमि विकय किया गया है कार्यवाही की जावे। अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना ने प्रकरण कमांक 42 बी 121/2005–06 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 28–9–2010 पारित करके

खसरा कमांक 21/2 के कुल रकबा 1.611 हैक्टर की भूमि को अवैध कालोनी मानकर केता एंव विकेता की भूमियों के अंतरण को शून्य करते हुये कालोनी की समस्त भूमि का अधिग्रहण कर लिया तथा भूमि का प्रबंध एंव विकास कार्य ग्राम पंचायत पुरूषोत्तमपुर को सौंप दिया। साथ ही 1.611 हैक्टर भूमि की कालोनी के विकास व्यय के लगभग 34,00,000/– रू. की वसूली अधिरोपित कर 20,000/–रू. अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।

अनुविभागीय अधिकारी के उक्तादेश के विरूद्व प्रथम अपील अपर कलेक्टर जिला पन्ना के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 04/10–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 8 अगस्त 11 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के यहां अपील होने पर प्रकरण कमांक 672 बी 121 /2011–12 में पारित आदेश दिनांक 05–11–12 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी, प्रकरण के कमांक 42 बी 121/2005–06 के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–09–10 के पद एक में इस प्रकार लिखा है –

" पटवारी हलका नंबर 13 सुनहरा ने प्रतिवेदन पेश किया है कि ग्राम पुरूषोत्तमपुर की आराजी कमांक 21/2 के रकबे को भूमिस्वामी अनावेदक अच्छेलाल पिता बुद्धूलाल निवासी पन्ना के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में अंकित है, जिसका कुल रकबा 1.611 है. था उक्त भूमि का विकय विभिन्न 20 खातेदारों को प्लाट काटकर किया गया। आज की स्थिति में मूल खातेदार अच्छेलाल शिवहरे के नाम 1.374 है. भूमि शेष है जिस पर किसी प्रकार की कालोनाईजिंग नहीं हुई है। "

तात्पर्य यह है कि आवेदकगण के स्वर्गीय पति/पिता अच्छेलाल ने केवल 20 प्लाट काटकर अन्य को विकय किये , शेष रकबा 1.374 आवेदक के पास खुली भूमि मौजूद रही है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–9–10 के अंतिम पृष्ठ पर 1.611 हैक्टर अर्थात संपूर्ण भूमि पर कालोनी का विस्तार

होना मानकर कालोनी विकास शुल्क 34,00,000/-रू. वसूली के आदेश देते हुये 20,000/-रू. अर्थदंड भी वसूली के आदेश दिये हैं जिसे उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकगण के विरूद्व अवैध कालोनाईजिंग का प्रकरण बनाया गया है, प्रतिवेदन में मात्र 20 भूखंड विकय का उल्लेख होकर 1.374 हैक्टर खुली भूमि आवेदकगण के पास मौजूद होने का उल्लेख है।

4/ अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना के प्रकरण में उनके पूर्वाधिकारी व्दारा प्रकरण कमांक 19 अ 2/80-81 में पारित आदेश दिनांक 18-1-95 की छायाप्रति संलग्न है जिसके अनुसार भूमि सर्वे कमांक 21/2 रकबा 1.611 हैक्टर (46,000 वर्गफुट) के व्यपवर्तन की स्वीकृति प्रदान करते हुये भूमि का पुर्ननिर्धारण 598.00 रू. वर्ष 94-95 से एंव प्रव्याज 750.00 रू. निर्धारित किया गया है और यह राशि आवेदकगण ने चालान कमांक 2/7-7-95 से शासन हित में जमा कराई है, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना ने आदेश दिनांक 28-09-10 पारित करते समय इस तथ्य पर गौर नहीं किया है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में ग्राम पंचायत जनकपुर व्दारा दिनांक 3-3-98 को 4600/-वर्गफुट भूमि पर कालोनी निर्माण की अनुमति प्रदान की है जबकि अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के डायवर्सन प्रकरण कमांक 19 अ 2/80-81 में पारित आदेश दिनांक 18-1-95 में भूमि का रकबा 46,000/- वर्गफुट है और ग्राम पंचायत की अनुमति भी इसी आदेश पर से है ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में लिपिकीय त्रृटि से रकबा 46,000/- वर्गफुट के बजाय 4600/-वर्गफुट लिख गया है, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने इस बिन्दु को ग्राम पंचायत से स्पष्ट नहीं कराया है और अपर कलेक्टर तथा अपर आयुक्त ने भी इन तथ्यों पर गौर न करने की त्रृटि की है।

6/ अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि सर्वप्रथम वादोक्त भूमि का मद परिवर्तन पूर्वादेश दिनांक 14-3-85 से हुआ

है इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर पन्ना के समक्ष अपील होने पर आदेश दिनांक 17-9-86 से प्रकरण पुर्नजांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ है अर्थात कालोनी सन्निर्माण कार्य वर्ष 1985 से प्रचलित है । प्रकरण के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना ने इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया है कि जब एक वार पुर्ननिर्धारण व पेनल्टी आदेश दिनांक 18-1-95 से लगाई जा चुकी है एंव चालान कमांक 2/7-7-95 से शासन हित में जमा पैसा जमा हो चुका है, तब कालोनाईजर का रजिस्ट्रेशन, निर्वधंन तथा शर्ते नियम 1998 भूतलक्षी प्रभाव से किस प्रकार लागू होगा ? अनुविभागीय अधिकारी ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है साथ ही अपर कलेक्टर पन्ना एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग व्दारा इन पर विचार नहीं किया जाना पाया गया है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 672 बी 121 /2011-12 में पारित आदेश दिनांक 05-11-12 , अपर कलेक्टर पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 04/10--11 अपील में पारित आदेश दिनांक 08 अगस्त 2011 तथा अनुविभागीय अधिकारी पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 42/बी-121/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 28-09--2010 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी पन्ना की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उपरोक्त की गई विवेचना अनुसार पुर्नजांच करें तथा हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर